उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– / /2013/XXVII(9)/मनो0कर–28/2009–T.C
देहरादूनः दिनांकः 17 अगस्त, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधाारा (1) और (2), धारा 4 की उपधारा (1), धारा 4–क की उपधारा (1) और धारा 4–ख की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या–58/2010/XXVII(9)/मनो0कर–28/2009, दिनांक 06.09.2010 तथा अधिसूचना संख्या–39/XXVII(9)/2012/मनो0कर–28/2009, दिनांक 15 मई, 2012 का अधिक्रमण करते हुये आमोद कर का उद्ग्रहण और भुगतान इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है; अर्थात्:–

अनुसूची

क0सं0	आमोद के वर्ग	आमोद कर की दरें
1.	किसी अन्तर्वर्ती सिनेमा से भिन्न किसी सिनेमा में चलचित्र प्रदर्शन	1. ₹ 25.00 तक के टिकट पर –20 प्रतिशत 2. ₹ 25.00 से ₹ 50.00 तक के टिकट पर – 30 प्रतिशत 3. ₹ 50.00 से अधिक के टिकट पर –40 प्रतिशत जो सिनेमागृह छूट की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निर्मित हुये हैं, उन्हें पूर्ववत् उक्त योजना के अन्तर्गत छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।
2.	हाऊजी	खेल में प्रारम्भिक प्रवेश हेतु प्रत्येक समग्र भुगतान और खेलने के लिए या खेलना जारी रखने के लिए प्रत्येक समग्र भुगतान का 30 प्रतिशत (चाहे भुगतान कार्डो या पुस्तिकाओं या अन्यथा के रूप में वर्णित हो)
3.	वायुयान द्वारा मनोरंजन के लिए उड़ान	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 30 प्रतिशत
4.	घुड़दौड़	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 30 प्रतिशत
5 (क)	मद 1 से 4 के अन्तर्गत न आने वाले समस्त अन्य प्रकार के आमोद प्रदर्शन यथा– स्वांग, कार्निवाल, कैबरे या मन्च–प्रदर्शन, वाउलिंग ऐले, (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय)	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 30 प्रतिशत
(ख)	कठपुतली, जायण्ट ह्वील, कौशल के खेल,	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 20 प्रतिशत

	वीडियों गेम, रोप–वे, हॉट एयर गैस बैलूनिंग तथा पैरा ग्लाइडिंग, आदि।	
6.	अशास्त्रीय संगीत एवं नृत्य	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 25 प्रतिशत
7.	अन्तर्वर्ती सिनेमा प्रारम्भ होने से 01 वर्ष की अवधि के लिये किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसकी जनसंख्याः– (क) 10,000 तक हो (ख) 10,000 से अधिक हो	 . ₹ 500.00 प्रति सप्ताह . ₹ 1000.00 प्रति सप्ताह
8.	(क) वीडियों के माध्यम से प्रदर्शनः– (एक) किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित स्थाई भवन मे। (दो) किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित अस्थाई भवन में (तीन) किसी सार्वजनिक सेवायान में वीडियों के माध्यम से प्रदर्शन।	 ₹ 1,000.00 प्रति सप्ताह ₹ 500.00 प्रति सप्ताह ₹ 2000.00 प्रति माह
9.	डी0टी0एच0 (डायरैक्ट टू होम) प्रसारण सेवा।	(क) घरेलू उपभोक्ताओं के मामलों में पच्चीस रूपये (₹ 25.00) प्रति कनैक्शन प्रतिमाह (ख) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा होटलों एवं रेस्टोरेन्टों के मामलों में पचास रूपये (₹ 50.00) प्रति टी0वी0 सेट, प्रतिमाह।
10.	केबिल टी0वी0	(क) घरेलू उपभोक्ताओं के मामलों में बीस रूपये (₹ 20.00) प्रति कनैक्शन प्रतिमाह। (ख) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा होटलों एवं रेस्टोरेन्टों के मामलों में चालीस रूपये (₹ 40.00) प्रति टी0वी0 सेट, प्रतिमाह।
11.	कम संख्या 1 से 10 के अन्तर्गत न आने वाले समस्त अन्य प्रकार के आमोद, प्रदर्शन ।	प्रत्येक प्रवेश शुल्क का 20 प्रतिशत।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 141 (1)/2015/XXVII(9)/मनो0कर–28/2009–T.C तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. उपायुक्त मनोरंजन कर मुख्यालय/कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध सहित कि इसे आसाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये, 100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–9 में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0डी0बेलवाल)
अनु सचिव।